यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी **त्रुटिपूर्ण** अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के माह 07/2015 से 07/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 30.08.2017 से 08.09.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर एवं श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 26.07.2015 से 06.08.2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 02/2014 से 06/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 07/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के प्रचार–प्रसार तथा उन्हें आधुनिक संदर्भों के साथ जोडने एवं राज्य में संचालित शासकीय/अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं की सम्बद्धता प्रदान करने के साथ ही विभिन्न परम्परागत विषयों में आचार्य उपाधि एवं विभिन्न पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन–अध्यापन का कार्य कराया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	–	9.87	66.50	66.50	0.50	0.50	–	–	–	9.87
2015–16	–	9.87	140.00	140.00	122.50	120.00	–	–	–	12.37
2016–17	–	12.37	192.00	192.00	123.00	123.00	–	–	–	12.37
2017–18 (07/2017 तक)	–	12.37	300.00	120.31	120.00	83.83	–	179.69	–	48.54

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	–	123.75	123.75	–	–
2015–16		–	–	–	–	–
2016–17		–	851.25	851.25	–	–
2017–18 (07/2017 तक)		–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य, केन्द्र एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान के रुप में प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

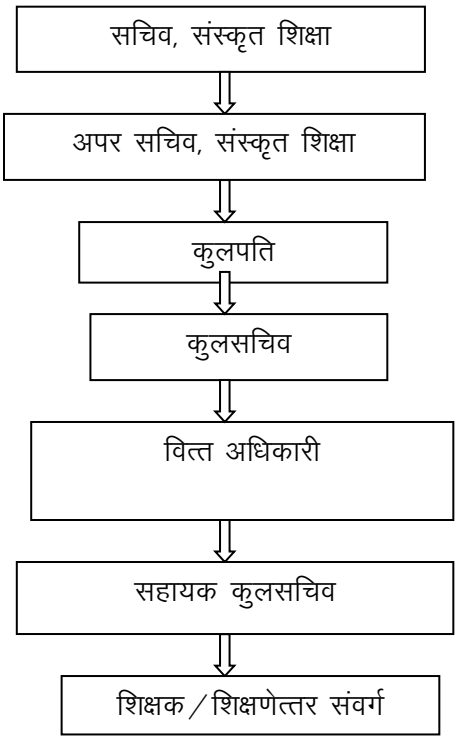

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 **एवं** 05/2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1 विश्वविद्यालय की अदूरदर्शिता/गलत तथ्यों के परिणास्वरुप रु0 2.50 करोड के निरर्थक/अलाभकारी व्यय के साथ–साथ आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों का छात्रावास सुविधा से बंचित रहना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रॉक 96–23/2010 (SU-II) दिनॉक 30.03.2012 द्वारा वन–टाइम कैचअप ग्रान्ट[1] (ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु अनुमोदित रु0 10.00 करोड के सापेक्ष यू0जी0सी0 अंश के रुप में रु0 5.00 करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी वैधता अवधि मार्च 2012 थी। उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के जनवरी 2012 में दिए गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रदान की गयी जिसमें प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विश्वविद्यालय के अधीन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार 50 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराएगी जो विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों को सैक्सन 12 बी के अन्तर्गत ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (मार्च 2012) तक पूर्ण करने में सहायक होगी। तद्नुपरांत यू0जी0सी0 के पत्रांक 96–23/2010 (SU-II) दिनॉक 23.07.2012 द्वारा पूर्व स्वीकृति को अतिक्रमित करते हुए वैधता अवधि मार्च 2013 तक बढा दी गयी एवं प्रथम किश्त के रुप में विश्वविद्यालय के खाते में रु0 2.50 करोड दिनॉक 02.08.2012 में हस्तान्तरित किए गये। स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रेषित करना था तथा स्वीकृति राशि के अनुपयोगी/आंशिक उपयोग होने पर अवमुक्त धनराशि को 10 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाना था। छात्रावास का निर्माण किए जाने का उद्देश्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना था ताकि किराये का वहन न किए जाने पर छात्र पढाई न छोड सके।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के छात्रावास निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि यू0जी0सी0 से प्रथम किश्त प्राप्त होने (अगस्त 2012) के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रु0 5.00 करोड के सापेक्ष शासनादेश संख्या 79/XXIV-4/2010-3(1)/2011 दिनॉक 29.03.2011 के आदेशानुसार छात्रावास निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को दिनॉक 04.03.2013 में प्रेषित की गयी जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन ने पत्रांक 127/XLII-1/2013-6(1)/2013 दिनॉक 25.03.2013 द्वारा रु0 489.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2012 में दिए गये प्रमाण–पत्र के पश्चात् भी राज्यांश की कोई धनराशि निर्माण कार्य हेतु प्रदान नहीं की गयी तथा यू0जी0सी0 को सही तथ्यों से अवगत नहीं

[1] नॉन– 12 बी = 50 प्रतिशत यू0जी0सी0 एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार

कराया गया क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक भवन राज्य मद से वर्ष 2008 से ही स्वीकृत एवं निर्माणधीन था तथा दूसरी तरफ छात्रावास निर्माण हेतु कोई कार्रवाई की ही नहीं गयी थी। शासन द्वारा मार्च 2011 में ही निर्देशित कर दिया गया था कि यू0जी0सी0 से प्राप्त होने वाली ग्रान्ट से मात्र छात्रावास का ही निर्माण किया जाना है। इसी परिपेक्ष में छात्रावास निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी ''उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई, हरिद्वार'' को दिनॉक 23.05.2013 में यू0जी0सी0 से स्वीकृत धनराशि रु0 2.50 करोड को एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तों के आधार पर किश्तों में न देकर एकमुश्त हस्तगत की गयी, जबकि धनराशि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आधार पर निर्गत की जानी थी। तद्नुसार दिनॉक 24.04.2013 को निर्माण एजेन्सी के साथ छात्रावास निर्माण का अनुबन्ध गठित किया गयां।

अर्धनिर्मित एवं क्षीर्ण–शीर्ण छात्रावास भवन

अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः मई 2013 एवं नवम्बर 2014 निर्धारित थी परन्तु छात्रावास भवन के भूतल की छत का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल की छत का 60 प्रतिशत कार्य कर अधूरा तथा खण्डहर के रुप में फरवरी 2014 से बन्द पडा हुआ है, जैसा कि फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।

आगे, लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि छात्रावास निर्माण पर रु0 2.50 करोड व्यय किए जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित वैद्यता अवधि से 11 माह पश्चात् अर्थात दिनॉक 19.02.2014 में प्रेषित किया गया तथा द्वितीय किश्त रु0 2.50 करोड की मॉग की गयी जिस पर यू0जी0सी0 द्वारा द्वितीय किश्त अवमुक्त करने से इस आधार पर स्पष्ट इन्कार कर दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण कार्य मार्च 2012 अर्थात ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ नहीं किया गया था अर्थात विलम्ब से प्रारम्भ किया गया तथा द्वितीय किश्त निरस्त किए जाने के साथ–साथ पत्रांक दिनॉक 27.03.2014, 22.10.2014, 16.03.2015, 16.10.2015 एवं 01.03.2016 द्वारा विश्वविद्यालय को अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि रु0 2.50 करोड को 10 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिये। जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्टीकरण के साथ–साथ कई समस्याओं का उल्लेख किया गया (23.04.2014, 21.05.2014, 25.08.2014, 14.11.2014, 18.01.2016, 07.12.2016 एवं 12.05.2017) परन्तु यू0जी0सी0 द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया। यू0जी0सी0 से अनुरोध निरस्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा अर्धनिर्मित निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु राज्य मद से धनराशि की मॉग राज्य शासन से की गयी (अप्रैल 2017) परन्तु वर्तमान तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है एवं अर्धनिर्मित भवन विगत तीन वर्षों से उसी स्थिति में पडा हुआ है। इसप्रकार, जनवरी 2012

में प्रदत्त प्रमाण–पत्र, यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के विपरीत कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने (मई 2013), विश्वविद्यालय द्वारा विलम्ब से आगणन शासन में प्रेषित करने (मार्च 2013) तथा अनुबन्ध गठित किये जाने (अप्रैल 2013) में विलम्ब के कारण न केवल रु0 2.50 करोड व्यय किए जाने के बावजूद भी छात्रावास का निर्माण तीन वर्ष से अधूरा पडा हुआ है अपितु यू0जी0सी0 को प्रथम किश्त के ब्याज सहित वापस लौटाने और द्वितीय किश्त को भविष्य में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने से भी राज्य वित्त पर अनावश्यक वित्तीय भार पडेगा। इसके अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने पर राज्य को अतिरिक्त वित्तीय भार भी वहन करना होगा क्योंकि कार्यदायी संस्था पूर्व में ही (मार्च 2016) स्पष्ट कर चुकी है कि कार्य के स्वीकृत आगणन को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुल सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि विश्वविद्यालय के अधीन निर्माण कार्यों को ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूर्ण करने हेतु प्रमाण–पत्र इस आशय से दिया गया था ताकि समस्त कार्य समयावधि में पूर्ण किए जा सके, परन्तु यू0जी0सी0 की स्वीकृति मिलने के पश्चात् छात्रावास के आगणन तैयार करने एवं शासन से स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब के कारण कार्य वैद्यता अवधि में पूर्ण नहीं हो सके। राज्यांश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य मद से प्रशासनिक भवन वर्ष 2008 से ही निर्माणधीन था तथा शासन द्वारा रु0 461.93 लाख भी स्वीकृत किया गया था जिस कारण पृथक से राज्यांश हेतु अनुरोध नहीं किया गया। छात्रावास के अर्धनिर्मित रहने के सम्बन्ध में बताया गया कि यू0जी0सी0 को अनेकों बार द्वितीय किश्त अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु यू0जी0सी0 द्वारा धनराशि अवमुक्त करने से इन्कार कर दिया गया। वर्तमान में निर्माण कार्य धनाभाव के कारण बाधित है जिस हेतु शासन से राज्य मद में धनराशि हेतु अनुरोध किया गया है ताकि छात्रों को लाभ मिल सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यू0जी0सी0 को यदि पूर्व में ही सही तथ्यों से अवगत कराया गया होता एवं गलत प्रमाण–पत्र निर्गत न किया गया होता तो वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसप्रकार, विश्वविद्यालय की अदूरदर्शिता/गलत तथ्यों के परिणास्वरुप रु0 2.50 करोड के निरर्थक/अलाभकारी ब्यय के साथ–साथ आर्थिक रुप से निर्धन छात्रों को विगत सात वर्षों से छात्रावास सुविधा से भी बंचित रहना पड रहा है।

अतः विश्वविद्यालय की अदूरदर्शिता/गलत तथ्यों के परिणास्वरुप रु0 2.50 करोड के निरर्थक/अलाभकारी व्यय के साथ–साथ आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों का छात्रावास सुविधा से बंचित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–2 रु0 201.90 लाख के निरर्थक व्यय के साथ–साथ आधिक्य धनराशि रु0 49.46 लाख की प्रतिपूर्ति न किया जाना।

1. शासनादेश संख्या 64 सं0शि0 XXIV(4)/2008 दिनॉक 27.03.2008 द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रु0 461.93 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ रु0 201.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड इकाई हरिद्वार को रु0 201.90 लाख[2] अवमुक्त किए गये।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी "उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई, हरिद्वार" को दिनॉक 29.08.2008 में अनुबन्ध गठित किया गयां। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः अगस्त 2008 एवं फरवरी 2010 निर्धारित थी। पुनः शासनादेश संख्या 79/XXIV-4/2010-3(1)/2011 दिनॉक 29.03.2011 द्वारा प्रशासनिक भवन के साथ–साथ विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन अन्य निर्माण कार्यों जैसे–एकेडमिक फैकल्टी ब्लाक एवं सेन्ट्रल लाइब्रेरी को एक साथ समाहित करते हुए रु0 1713.84 लाख के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ रु0 850.00 लाख अवमुक्त किए गये। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि रु0 850.00 लाख से मात्र एकेडमिक फैकल्टी ब्लाक एवं सेन्ट्रल लाइब्रेरी का ही निर्माण कार्य किया गया तथा रु0 1059.05[3] लाख व्यय के साथ पूर्ण कर विश्वविद्यालय को एकेडमिक फैकल्टी ब्लाक (नवम्बर 2011) एवं सेन्ट्रल लाइब्रेरी (जून 2013) में हस्तगत किए गये। उक्त स्वीकृति में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य सितम्बर 2010 के पश्चात् नहीं किया गया। इसप्रकार, सितम्बर 2010 तक प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य रु0 201.90 लाख व्यय किए जाने के बावजूद विगत सात वर्षों से न केवल अधूरा एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पडा हुआ है अपितु रु0 201.90 लाख का निरर्थक अवरोधन भी

अर्धनिर्मित एवं क्षीर्ण–शीर्ण प्रशासनिक भवन

[2] चैक संख्या 007587 दिनॉक 06.09.2008 : रु0 100.00 लाख, चैक संख्या 346126 दिनॉक 12.12.2008 : रु0 50.00 लाख एवं चैक संख्या 346128 दिनॉक 23.01.2009 : रु0 51.90 लाख

[3] दिसम्बर 2006 : रु0 209.05 लाख एवं मार्च 2011 रु0 850.00 लाख।

किया गया। जैसा कि फोटोग्राफ में प्रशासनिक भवन का अर्धनिर्मित जीर्ण–शीर्ण अवस्था में खडा भवन देखा जा सकता है।

2. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक (10.02.2011) में निर्देशित किया गया था कि सम्बन्धित निर्माण कार्यों की नियोजन विभाग के तकनीकी अभियंताओं द्वारा जॉच की जाए, जिनके तारतम्य में प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में नियोजन विभाग के तकनीकी सलाहकार, प्रशासकीय विभाग, स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण संस्था (सी0बी0आर0आई0), रुडकी एवं कार्यदायी संस्था की बैठक (02.05.2013) में निर्माण कार्यों की अनियमितताओं पर विचार–विमर्श किया गया। तकनीकी जॉच समिति द्वारा कार्यदायी संस्था के स्पष्टीकरण से असहमति ब्यक्त करते हुए दो बिन्दुओं पर स्पष्ट उल्लेख किया था कि खुदाई से प्राप्त मिट्टी को भरान में उपयोग किया जाना चाहिए था जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा खुदाई की मिट्टी को अन्यंत्र निबटान करने में रु0 31.22 लाख व्यय किया गया तथा बाउन्ड्रीवाल की गहराई अधिक किए जाने पर रु0 18.24 लाख अधिक व्यय किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति कार्यदायी संस्था से की जानी थी। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा न तो निर्माण कार्यों की अनियमितताओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्था से आधिक्य धनराशि रु0 49.46 लाख की प्रतिपूर्ति की गयी एवं न ही कार्यदायी संस्था पर कोई कार्रवाई की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुल सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष राशि अवमुक्त न किए जाने के कारण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका, जिस हेतु समय–समय पर शासन को अवगत कराया गया है। कार्यदायी संस्था से आधिक्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था से जॉच समिति की आख्या प्राप्त कर शासन को सितम्बर 2013 में ही प्रेषित की गयी है जिस पर शासन से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः रु0 201.90 लाख के निरर्थक व्यय के साथ–साथ आधिक्य धनराशि रु0 49.46 लाख की प्रतिपूर्ति न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 मानदण्डों के विपरीत सम्बद्धता प्रदान किए जाने के साथ–साथ विद्यालय प्रबन्धन को रु0 479.00 लाख का अनुचित लाभ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम 2009 में निर्दिष्ट अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के दिशा–निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार (i) सम्बद्धता प्राप्त करने वाले विद्यालय के पास विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में न्यूनतम 2 एकड तथा किसी अन्य क्षेत्र में न्यूनतम 5 एकड भूमि का निर्विवाद रुप से स्वामित्व एवं अधिकार होना चाहिए (बिन्दु सं0 3.1.1), (ii) यदि सम्बद्ध विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा संचालित नहीं है तो उसका प्रबन्धन उचित प्रकार से पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। इस हेतु विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच संयुक्त रुप से एफ0डी0आर0 के रुप में रु0 15.00 लाख प्रति विषय की दर से रखा जाएगा (बिन्दु सं0 3.2.1) एवं 3.2.2) तथा केवल अतिविशेष परिस्थितियों में ही किसी पंजीकृत संस्था को मात्र प्रथम वर्ष के विषय को पूर्व उपलब्ध किराया भवन में पढने की अनुमति दी जाएगी। द्वितीय वर्ष के अन्त तक भवन निर्माण का डी0पी0आर0 प्रस्तुत करना होगा और तृतीय वर्ष तक स्वयं के भवन में पूर्णतया स्थानान्तरित होना होगा (बिन्दु सं0 3.3)। इन शर्तों को पूर्ण न करने की स्थिति में अस्थायी सम्बद्धता का पुनः नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्तमान तक कुल 68 कॉलेजों को विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी, जिसमें प्रत्येक विषय हेतु रु0 15.00 लाख की एफ0डी0आर0 जमा की जानी चाहिए थी। परन्तु अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि (i) कोई भी कॉलेज/संस्थान यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार गैर–मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में स्थित होने पर भूमि सम्बन्धी न्यूनतम 5 एकड के मानक को पूरा नहीं करता था, (ii) दस में से तीन संस्थान किराए के भूमि अथवा भवन में संचालित हो रहे थे, (iii) संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रति विषय रु0 50,000 की दर से एफ0डी0आर0 जमा करायी गयी थी जबकि दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विषय हेतु रु0 15.00 लाख की एफ0डी0आर0 जमा की जानी चाहिए थी। परिणामतः 10 संस्थानों **(संलग्नक-ख)** से 34 विषयों के सापेक्ष रु0 510.00 लाख की एफ0डी0आर0 जमा की जानी चाहिए थी जबकि केवल रु0 31.00 लाख की एफ0डी0आर0 ही जमा की गयी, जो कि मानकों से रु0 479.00 लाख कम थी एवं (iv) यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार किसी बाहरी अनुदान के अभाव में कॉलेज/संस्थान के पास तीन वर्षों के संचालन हेतु पर्याप्त कोष होना

चाहिए ताकि अध्ययनरत छात्रों को भविष्य में अध्यापन सुनिश्चित किया जा सके। यह कोष यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार कला वर्ग हेतु रु0 15.00 लाख निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय मानक को भी दस में से केवल एक संस्थान द्वारा ही पूरा किया गया था। इसप्रकार 09 विद्यालयों को यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के विपरीत सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुल सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु शुल्कादि (एफ0डी0आर0) में कमी की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही एफ0डी0आर0 की धनराशि प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः मानदण्डों के विपरीत सम्बद्धता प्रदान किए जाने के साथ–साथ विद्यालय प्रबन्धन को रु0 479.00 लाख के अनुचित लाभ दिए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 कार्मिकों के अन्यंत्र सम्बद्धता के कारण रु0 35.87 लाख का अनियमित भुगतान।

शासनादेश 684/XXVII-3-2016-76/2015 दिनॉक 03.06.2016 में वर्णित किया गया था कि ऐसे कार्मिकों जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यंत्र सम्बद्धीकृत किए गये हो, को तत्काल रुप से समाप्त किया जाए।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के वेतन बिल एवं उपस्थिति पंजिका की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा नियमित दो कार्मिक श्री घनश्याम, वाहन चालक एवं श्री हरीश चन्द्र बन्दूनी, अनुसेवक तथा आउटसोर्सिग के माध्यम से दो कार्मिकों क्रमशः श्रीमती दीपिका सजवाण, लिपिक एवं श्रीमती कृष्णा देवी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कार्यालयीन कार्य हेतु मार्च 2009 से फरवरी 2015 के मध्य नियुक्त किए गये थे परन्तु नियुक्ति की तिथि से उक्त 04 कार्मिकों की सेवायें शासन एवं नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ली जा रही है। वेतन बिल में पाया कि उक्त चारों सम्बद्ध कार्मिकों का वेतन संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से आहरित किया जा रहा था। चारों कार्मिकों को उनकी सम्बद्धता की तिथि से जुलाई 2017 तक कुल रु0 35.87 लाख[4] का वेतन विश्वविद्यालय से किया गया। इसप्रकार, चारों कार्मिकों को अन्यंत्र सेवायें प्रदान करने के एवज में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा रु0 35.87 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुलसचिव ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित कार्मिकों को शासन के आदेश के अनुपालन में सम्बद्ध किया गया, इस हेतु शासन से अनुरोध किया जा रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार सम्बद्धता समाप्त कर ली जानी चाहिए थी।

अतः कार्मिकों के अन्यंत्र सम्बद्धता के कारण रु0 35.87 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[4] श्री घनश्याम : रु0 896909.00, श्री हरीश चन्द्र बन्दूनी : रु0 1605918.00, श्रीमती दीपिका सजवाण : रु0 643417.39 एवं श्रीमती कृष्णा देवी : रु0 440638.45

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 अस्थाई अग्रिम रु0 14.17 लाख का समायोजन न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर 172 के अनुसार अस्थाई अग्रिम पूर्व में स्वीकृत बाउचर के सापेक्ष प्रदान किया जाता है जिसे यथाशीघ्र बन्द किया जाना चाहिए।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के अस्थाई अग्रिम पंजिका की नमूना जॉच में पाया गया कि जनवरी/फरवरी 2017 में दो कार्मिकों को रु0 99,000 तथा मई से जुलाई 2017 तक 21 कार्मिकों को रु0 13,18,340 का अस्थाई अग्रिम दिया गया है **(संलग्न–क)** जिसका समायोजन लेखापरीक्षा अवधि अर्थात सितम्बर 2017 तक असमायोजित है, जबकि वित्तीय नियमानुसार इनका समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुलसचिव ने अपने उत्तर में बताया कि कार्मिकों द्वारा समायोजना समय पर प्रेषित नहीं किए गये क्योंकि अग्रिम राशि अधिकतर सुदूरवर्ती महाविद्यालयों की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु केन्द्र ब्यय के रुप में दी गयी है। वर्तमान में समायोजन की कार्यवाही गतिमान है।

अतः अस्थाई अग्रिम रु0 14.17 लाख का समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–क

क्रं0 सं0	नाम	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि
1.	डॉ0 महेश चन्द्र ध्यानी	001474	10.01.2017	24000
		001517	23.02.2017	68000
2.	श्री धीरज सिंह	001481	24.01.2017	7000
3.	डॉ0 महेश चन्द्र ध्यानी	001808	26.05.2017	75000
		001810	26.05.2017	18500
		001874	28.06.2017	27500
		001898	07.07.2017	49000
		001921	22.07.2017	76500
4.	डॉ0 अरूण कुमार मिश्र	001809	26.05.2017	7200
5.	डॉ0 शैलेश तिवारी	001719	12.05.2017	45000
6.	प्राचार्य महादेव गिरि सं0महा0 वि0 हल्द्वानी	001720	12.05.2017	15000
7.	गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार	001721	12.05.2017	80000
8.	भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय	001721	12.05.2017	30000
9.	पंजाब सिंध क्षेत्र साधु संस्कृत महा0वि0 ऋषिकेश	001721	12.05.2017	70000
10.	श्री गुरूराम राय लक्ष्मण सं0महा0वि0 102 झण्डा बाजार देहरादून	001721	12.05.2017	35000
11.	श्री बद्रीनाथ राजकीय सं0महा0वि0 नई टिहरी	001721	12.05.2017	6000
12.	श्री विश्वनाथ सं0 स्नातकोत्तर महा0वि0 उजेली उत्तरकाशी	001721	12.05.2017	15000
13.	श्री ज्वालामुखी सं0महा0वि0 देवढुग विनयखाल टिहरी गढ़वाल	001721	12.05.2017	25000
14.	बालिका संस्कृत महा0वि0 सेन्दुल कैमर	001721	12.05.2017	6000
15.	श्री जयदयाल अग्रवाल सं0महा0वि0 गोलाबाजार श्रीनगर	001721	12.05.2017	8000
16.	श्री 108 स्वामी सच्चिदानन्द वेद भवन सं0महा0वि0 रूद्रप्रयाग	001721	12.05.2017	10000
17.	श्री केदारनाथ सनातन धर्म स्नातकोत्तर उपाधि विद्यापीठ सं0महा0वि0 गुप्तकाशी रूद्रप्रयाग	001721	12.05.2017	30000
18.	श्री 1008 स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती सं0महा0वि0 मण्डल चमोली	001721	12.05.2017	6000
19.	श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर सं0महा0वि0 जोशीमठ चमोली	001721	12.05.2017	6000
20.	श्री बदरीश कीर्ति सं0महा0वि0 डिम्मर सिमली	001721	12.05.2017	4000
21.	श्री बाराही देवी सं0महा0वि0 देवीधुरा चम्पावत	001721	12.05.2017	5000
22.	डॉ0 मनोज किशोर पन्त	001858	17.06.2017	200000
		001867	20.06.2017	200000
		001869	27.06.2017	250000
23.	डॉ0 कामाख्या कुमार	001866	19.06.2017	10000
		001922	22.07.2017	8640
योगः–				14,17,340

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 रु0 2.50 लाख का अवरोधन।

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा पत्रांक 651/कम्यूनिटी रेडियो /2015 दिनांक 05.12.2015 के माध्यम से कम्यूनिटी रेडियों स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा पत्रांक संख्या 664/XLII&1/2016-06(08) 2015 दिनॉक 16 जून 2016 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को रु0 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई। तत्पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्रांक F. No. 804/265/2015-CRS दिनॉक 20 जुलाई 2016 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को सूचित किया कि प्रस्तावित स्थान पर फ्रिक्वेंसि स्पॉट उपलब्ध नहीं है। इसलिए Inter-Ministerial कमेटी की दिनांक 30.06.2016 को हुई बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कम्यूनिटी रेडियों स्थापित करने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा रु . 2.50 लाख आहरित कर पीएलए खाते मे रखा गया जबकि फ्रिक्वेंसि स्पॉट उपलब्ध ही नहीं था एवं उक्त धनराशि वर्तमान तक भी पीएलए खाते मे अवरुद्ध रखी गयी थी। इसप्रकार बिना फ्रिक्वेंसि स्पॉट की उपलब्धता सुनिश्चित किए रु. 2.50 लाख आहरित कर अवरोधन किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कुलसचिव ने अपने उत्तर में बताया कि कम्यूनिटी रेडियों स्थापित करने हेतु आहरित किया गया जिसे वापस कर दिया जाएगा।

अतः रु0 2.50 लाख के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
214 / 2013–14	1	1, 2, 3 एवं 4
76 / 2015–16	–	1, 2, 3 एवं 4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
214 / 2013–14	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
76 / 2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया गया है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	प्रो0 महावीर अग्रवाल	कुलपति	17.01.2013 से 29.02.2016
2.	प्रो0 पीयूषकान्त दीक्षित	कुलपति	01.03.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उत्तराखण्ड, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र